सेवा में	श्रीमान जन सूचना अधिकारी/ अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष सं० 01

जनपद न्यायालय झाँसी ।

विषय	: जन सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा- 6(1) के अन्तर्गत चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को दिनाँक 02. 12. 2021 को दिये गये शिकायती प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदनपत्र ।

महोदय

सादर ससम्मान अवगत कराना है कि कुख्यात व झाँसी जिले का टॉप- टेन अपराधी व विद्वा अधिवक्ता चन्द्रशेखर शुक्ला द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को दिनाँक 02. 12. 2021 को ... शिकायती प्रार्थनापत्र दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना की आवश्यकता है:-

प्रश्न सं० 01. अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा जिस जुड़वा एक किता सम्मन के आधार पर(जिसमे से एक पर सफेदा लगा हुआ है, लेकिन दोनों सम्मन जुड़े हुए है) श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया झाँसी को दिनाँक 02. 12. 2021 को शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, वह सम्मन अभियुक्त पर किस तिथि पर तामील हुआ है ।

प्रश्न सं० 02. अभियुक्त चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा जिस जुड़वा एक किता सम्मन के आधार पर(जिस... से एक पर सफेदा लगा हुआ है,लेकिन दोनों सम्मन जुड़े हुए है) श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया झाँसी ... दिनाँक 02. 12. 2021 को शिकायती प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, क्या यह जुड़वा एक किता सम्मन दिनाँक 02. 12. 2021 तक अभियुक्त को प्राप्त हो चुका था ।

उपरोक्त सूचना का वैधानिक शुल्क मु० 50. 00 रूपया प्रति प्रश्न के हिसाब से दो प्रश्न का कुल शुल्क मु० 100. 00 रूपया का पोस्टल आर्डर सं० 95- G- 475691 दिनाँकित 07. 02. 2022 व पोस्टल आर्डर सं० 95- G- 475692 दिनाँकित 07. 02. 2022 मूल रूप से संलग्न कर, आवेदनपत्र अपने हस्ताक्ष... सहित संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है ।

यदि श्रीमान जी द्वारा यह पाया जाता है कि शुल्क कम है, तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें जिस... उपरोक्त प्रश्न हेतु अपेक्षित शुल्क अदा किया जा सके ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

प्रार्थी

11.02.2022

दिनाँक:11. 02. 2022

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झाँसी

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

12/36

प्रेषक,

जयतेन्द्र कुमार
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ अपर जिला जज,
न्यायालय सं०- १, झाँसी।

सेवा में,

श्री विमल प्रकाश आर्य,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(F. T. C.)
(चौहदवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ,
झाँसी।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम२००५ के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के संबंध में

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रेषित जन सूचना प्रार्थना पत्र दिनाकित ११ - ०२-२२ के अनुक्रम में आप द्वारा मांगी गयी सूचना जैसी कि प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय, झाँसी से आख्या मय संलग्न सम्मन के प्राप्त हुई। प्रशासनिक कार्यालय से प्राप्त आख्या मय छायाप्रति सम्मन की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जा रही है।

22-2-22

(जयतेन्द्र कुमार)
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ अपर जिला जज,
न्यायालय सं०- १, झाँसी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्यायालय संख्या-1, झाँसी (उ०प्र०)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०-1 ★ झाँसी

दिनांक२२- ०२- २०२२
सलग्नक- यथोक्तानसार

12/37

सेवा में,

केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी/
अपर जनपद न्यायाधीश
न्यायालय सं०-01, झांसी।

महोदय,

आपके द्वारा श्री विमल प्रकाश आर्य अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०)/(14वी वि०आयोग योजना०) के पत्र दिनांक 11.02.2022 के बावत चाही गयी सूचना निम्नवत है-

श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के प्रार्थना पत्र दिनांक- 02.12.2021 जिसमें सम्मन (दो सम्मन जुडे हैं) बनाम चन्द्रशेखर शुक्ला (एडवोकेट) सी०जे०एम० कम्पाउण्ड (झाँसी) की छायाप्रति संलग्न है, श्रीमान जी के अवलोकनार्थ हेतु इस आख्या के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

आख्या श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

22.02.22

(जानकी प्रसाद - द्वितीय)
प्रशासनिक अधिकारी
जनपद न्यायालय, झांसी।

22.2.22

मुंसरिम/रीडर
पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
झाँसी।

12/38

अभियुक्त व्यक्ति का सम्मन

न्यायालय ...

नाम ...

चूंकि आपकी उपस्थिति उक्त अभियुक्त

हेतु

अनिवार्य है अतः आप स्वयं न्यायालय के समक्ष

दिनांक 24-12-21 को सुबह 10

बजे उपस्थित हों ऐसा करने में त्रुटि न हो।

आज दिनांक 30/11/21 को दिनांकित

अभियुक्त व्यक्ति का सम्मन

न्यायालय ADJ ...

नाम ...

चूंकि आपकी उपस्थिति वास्ते अभियुक्त

हेतु

अनिवार्य है अतः आप स्वयं न्यायालय समक्ष

दिनांक 24-12-21 को सु

बजे उपस्थित हों ऐसा करने में त्रुटि न हो।

आज दिनांक 30/11/21 को दि

मुसरिम
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
झाँसी।

12/39

सेवा में श्रीमान जन सूचना अधिकारी/ अपर जनपद न्यायाधीश कक्ष सं० 01
जनपद न्यायालय झाँसी।

विषय : जन सूचना अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा- 6(1) के अन्तर्गत चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को दिनाँक 02. 12. 2021 को दिये गये शिकायती प्रार्थनापत्र के बावत माँगी गयी सूचना के अनुरूप सूचना उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

सादर ससम्मान अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा कुख्यात व झाँसी जिले का टॉप- टेन अपराधी व विद्वान अधिवक्ता चन्द्रशेखर शुक्ला द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदया को दिनाँक 02. 12. 2021 को एक शिकायती प्रार्थनापत्र दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत स्पष्ट सूचना माँगी गयी थी, प्रार्थी द्वारा मॉगी गयी सूचना स्पष्ट है, और ऐसी कोई सूचना नहीं माँगी गयी है, जो पढ़ने से स्पष्ट न हो रही हो, उसके बावजूद प्रार्थी को कोई सूचना उपलब्ध ही नहीं करायी गयी है बल्कि भ्रामक व गलत सूचना उपलब्ध करायी गयी है और न ही अपीलीय अधिकारी का नाम , पदनाम व पते व अपील की अवधि का कोई विवरण उपलब्ध कराया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा सूचना प्रदान कराये जाने के बावत वांछित शुल्क भी अदा किया गया था।

अतः श्रीमान जी से पुनः अनुरोध है कि प्रार्थी को , प्रार्थी द्वारा माँगी गयी सूचना के अनुरूप ही सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें और यदि श्रीमान जी को यह प्रतीत होता है कि उनके द्वारा दी गयी सूचना पर्याप्त है, और प्रार्थी द्वारा मॉगी गयी सूचना उपलब्ध करायी ही नहीं जा सकती है तो श्रीमान जी से अनुरोध है कि प्रार्थी को अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम व पूरा पता उपलब्ध कराया जाये जिससे प्रार्थी अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत कर सके, साथ ही अपील की अवधि भी बताने का कष्ट करें कि अपील की अवधि कितनी है।

प्रार्थी

22.02.2022

दिनाँक:22. 02. 2022

(विमल प्रकाश आर्य)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.), झांसी।
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

23/2/22

R.T.I. No. 111/22

10.03.2022

प्रेषक,

जयतेन्द्र कुमार

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ अपर जिला जज,

न्यायालय सं०- १, झाँसी।

सेवा में,

श्री विमल प्रकाश आर्य,

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(F. T. C.)

(चौहदवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ,

झाँसी।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम२००५ के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के संबंध में

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रेषित जन सूचना प्रार्थना पत्र दिनाकित ११ - ०२- २२ के अनुक्रम में प्रेषित सूचना दिनांक २२- ०२- २२ के सम्बन्ध में प्रेषित प्रार्थना पत्र/ आपत्ति के संदर्भ में प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायालय, झाँसी से आख्या प्राप्त हुई। प्रशासनिक कार्यालय से प्राप्त आख्याप्रमाणित प्रति प्रेषित की जा रही है। प्रथम अपीलीय अधिकारी, जनपद न्यायाधीश- झाँसी हैं तथा सूचना अधिकार अधिनियम २००५ की धारा १९ में प्रथम अपील की अवधि तीस दिन प्रावधानित है। अतः तदनुसार सूचित हो।

8-3-22

(जयतेन्द्र कुमार)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/ अपर जिला जज,

न्यायालय सं०- १, झाँसी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

न्यायालय संख्या-1, झाँसी (उ०प्र०)

दिनांक०८- ०३- २०२२

सलग्नक- यथोक्तानसार

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी / अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय सं०-1 झाँसी

12/40

10.03.2022

सेवा में,

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी/
अपर जनपद न्यायाधीश
न्यायालय सं०-01, झांसी।

आवेदक श्री विमल प्रकाश आर्य, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफ०टी०सी०)(चौदहवें वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित), झांसी के द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 11.02.2022 के माध्यम से "जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005" के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में सादर अवगत कराना है कि-

प्रार्थना पत्र दिनांकित 11.02.2022 के माध्यम से उक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा चाही गयी सूचना के प्रश्न सं०-01 एवं 02 में अंकित प्रश्न से संबंधित अभिलेख के संबंध में जांच संस्थित है चूंकि उक्त संदर्भ में उक्तानुसार जांच वर्तमान में विचाराधीन है।

आख्या श्रीमान् जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक- 08.03.2022

प्रशासनिक अधिकारी 08.03.22
जनपद न्यायालय, झांसी।

08/3/22
मुंसरिम/रीडर
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
झाँसी ।

12/41